



कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

PRINCIPAL OFFICE, GOVERNMENT POLYTECHNIC KOTDWAR, PAURI GARHWAL

Website: www.gpkotdwar.org.in. Email- gpkotdwara@rediffmail.com

सेवा में,

Website
Govt Poly Kotdwar

विषय:- संस्था के छात्रावास में मैस संचालन हेतु सीलड बन्द कोटेशन विषयक।

पत्रांक. 1153 / स्टोर / कोटो / 2025-26

दिनांक 30/12/2025

महोदय,

इस संस्था के छात्रावास में मैस संचालन हेतु ओपन सीलड बन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

सामान्य सूचनायें:-

- 1-कोटेशन जमा करने की तिथि — दिनांक 30/12/2025 से 15/01/2026 सायं 5 बजे तक
- 3-कोटेशन खोलने की तिथि — दिनांक 16/01/2026 को प्रातः 11:00 बजे
- 5-कोटेशन की वैधता — एक वर्ष
- 6-धरोहर राशि — ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये)

एफ0डी0आर0 के रूप में "प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक कोटद्वार गढ़वाल" के पदनाम से जमा करें।

नियम एवं शर्तें:-

- 1-कोटेशन को पूर्ण रूप से स्पष्ट भरकर सीलड करके लिफाफे में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक कोटद्वार गढ़वाल के पदनाम से प्रेषित की जाय, तथा लिफाफे के ऊपर "सत्र 2025-26 में मैस संचालन हेतु कोटेशन" लिखा होना चाहिए, सीलड लिफाफों पर प्रेषक का नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य है।
- 2-कोटेशनदाता कोटेशन सीलड लिफाफे को डाक द्वारा या दस्ती द्वारा संस्था में भेज/जमा कर सकता है। डाक से भेजे जाने वाले कोटेशन सीलड लिफाफे संस्था में उपरोक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त न होने पर संस्था जिम्मेदार नहीं होगी।
- 3-कोटेशन खोलते समय कोटेशनदाता स्वयं या उसका प्रतिनिधि यदि चाहें, संस्था में उपस्थित हो सकता है।
- 4-कोटेशन लिफाफे के अन्दर तकनीकी कोटेशन प्रपत्र की मूल प्रति एवं धरोहर धनराशि ₹ 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) एफ0डी0आर0 के रूप में "प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक कोटद्वार गढ़वाल" के पदनाम से मूल प्रति जमा करनी आवश्यक है। धरोहर धनराशि की वैधता एक वर्ष होनी आवश्यक है।
- 5-कोटेशन के पश्चात् जिस कोटेशन दाता की कोटेशन स्वीकृत होगी उसी की धरोहर धनराशि को संस्था में जमा रखी जायेगी, अन्य कोटेशन दाताओं की धरोहर धनराशि को वापस कर दिया जायेगा। यदि स्वीकृत कोटेशन दाता सत्र के मध्य में या निर्धारित तिथि से पूर्व मैस संचालन का कार्य छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को संस्था द्वारा जब्त कर लिया जायेगा, और कोटेशनदाता का इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6-कोटेशनदाता द्वारा दी गई दरें एक वर्ष तक मान्य होगी। इस अवधि के बीच में दरों में बढ़ोतरी किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 7-मैस में उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री एवं भोजन की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए। संस्था कमेटी द्वारा जिसकी समय-समय पर जांच की जा सकती है। समिति द्वारा निरीक्षण करने के उपरान्त यदि खाद्य सामग्री एवं भोजन की गुणवत्ता में कमी पायी जाती है तो ₹ 5000.00 तक का जुर्माना मैस संचालक द्वारा देय होगा।
- 8-कोटेशन शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादन न किये जान की दशा/गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध न कराने की दशा में कॉन्ट्रैक्ट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा व ऐसी दशा में भी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 9-कॉन्ट्रैक्ट निरस्त होने की दशा में दूसरे नम्बर पर न्यूनतम दर वाले कोटेशनदाता को मैस संचालन के लिए सम्मत नियम व शर्तों का अनुपालन के अनुसार आदेश दिया जा सकता है, जिसके द्वारा उपरोक्त धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।
- 10-प्रधानाचार्य को यह अधिकार होगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट कभी भी निरस्त कर सकता है, और इस सम्बन्ध में कोटेशन/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 11-कोटेशन दाता की फर्म पंजीकृत होनी चाहिए, प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित की छाया प्रति तकनीकी कोटेशन में जमा करना अनिवार्य है। पंजीकृत फर्म को वरीयता दी जायेगी।
- 12-कोटेशन दाता/फर्म का भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वैद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र (Food Certificate) की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। जिसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप उक्त कार्य को करने में सक्षम हैं।
- 13-छात्रावास में निर्धारित साप्ताहिक मैस मैनु के अनुसार ही भोजन व्यवस्था की जायेगी (मैस मैनु संलग्न है)।
- 14-मैस संचालन हेतु जिस कोटेशन दाता/फर्म को आदेशित किया जायेगा, उसे ₹ 100/- के



कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

PRINCIPAL OFFICE, GOVERNMENT POLYTECHNIC KOTDWAR, PAURI GARHWAL

Website: www.gpkotdwar.org.in. Email- gpkotdwara@rediffmail.com

नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शर्तों का अनुबन्ध पत्र को नोटरी करा कर जमा करना होगा।

15-कोटेशन दाता को अपना एंव कर्मचारीओ का आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

16-कोटेशन दाता को अपना/फर्म का पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

17-कोई भी दाल एवं सब्जी की सप्ताह में दो बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

18-छात्रावास मैस की साफ-सफाई (सामग्री सहित) की पूर्ण जिम्मेदारी मैस संचालक की होगी।

19-भोजन बनाने हेतु समस्त बर्तन, कर्मचारी आदि की व्यवस्था कोटेशन/फर्म की होगी, व भोजन बनाने हेतु केवल **Commercial Cylinder** का ही प्रयोग किया जायेगा। साथ ही कोटेशन दाता के मैस कर्मचारियों का व्यवहार छात्रों एवं संस्था स्टाफ सदस्यों के साथ अच्छा व विग्रम होना आवश्यक है, तथा संस्था परिसर व छात्रावास परिसर में कोटेशन दाता के मैस कर्मचारियों को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने की दशा में कॉन्ट्रैक्ट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रधानाचार्य का होगा। जिसके लिए मैस संचालक स्वयं जिम्मेदार होगा, तथा इस सम्बन्ध में मैस संचालक का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

20-यदि किसी छात्र का स्वास्थ्य आकस्मिक खराब हो जाता है, तो डॉक्टर द्वारा निर्देशित भोजन अस्वस्थ छात्र को प्रदान करना होगा।

21-छात्रावास मैस में किसी भी छात्र की डाइट ऑफ नहीं होगी, परन्तु विशेष परिस्थितियों में प्रधानाचार्य के स्वीकृति के उपरान्त व होली एवं दीपावली अवकाश तथा सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ही छात्रों की डाइट ऑफ रहेगी। तथा मैस संचालक द्वारा उक्त अवकाश अवधि का भोजन मूल्य बिल में अंकित नहीं किया जायेगा।

22-कोटेशन दाता द्वारा अपनी दरों के अनुसार मैस संचालन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियों जैसे तेल, चावल, आटा मसाले इत्यादि का विवरण सूची कम्पनी/ब्रान्ड सहित कोटेशन के साथ जमा करना अनिवार्य है।

23-जिस भी कोटेशन दाता को मैस कॉन्ट्रैक्ट स्वीकृत किया जायेगा, वह अपने समस्त कर्मचारियों, जो छात्रावास में कार्य करेंगे, का पुलिस वैरिफिकेशन करवाकर संस्था में जमा करेंगे, तत्पश्चात ही केवल उन्ही कर्मचारियों को छात्रावास में मैस कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। पुलिस वैरिफिकेशन संस्था में न जमा करने की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य का होगा।

24-छात्रावास में मदिरापान एवं तम्बाकू पदार्थों का सेवन करना पूर्णतया वर्जित है। मैस संचालक एवं मैस कर्मचारी यदि उक्त कार्य में लिप्त पाये जाते हैं तो ₹ 10000.00 (दस हजार) जुर्माना मैस संचालक द्वारा देय होगा।

24-सभी कोटेशन प्रपत्र के पृष्ठ तथा संलग्नक को स्वप्रमाणित होने आवश्यक है।

25-कोटेशन दाता को किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न किया गया हो और किसी भी प्रकार के विवाद में संलिप्त न होने का शपथ पत्र 10/- ₹ के स्टैम्प पेपर पर नोटरी करा कर मूल रूप में कोटेशन में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

26-मैस संचालक को नियमानुसार आयकर/ट्रेड कर/व्यापार कर इत्यादि समय से जमा करना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैस संचालक की होगी।

27-कोटेशन से सम्बन्धित समस्त निर्णय प्रधानाचार्य के पास सुरक्षित है।

(Signature)

(विनोद कुमार)

प्रधानाचार्य

राजकीय पालीटेक्निक
कोटद्वार



कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

PRINCIPAL OFFICE, GOVERNMENT POLYTECHNIC KOTDWAR, PAURI GARHWAL

Website: www.gpkotdwar.org.in. Email- gpkotdwara@rediffmail.com

। छात्रावास हेतु साप्ताहिक मैस मैन्यू ।।

दिन	नाश्ता (प्रातः 08:00 बजे से 09:30 बजे तक)	दिन का भोजन (अपराहन 01:00 से 02:00 बजे तक)	साय: की चाय (सायं 05:30 से 06:30 बजे तक)	रात्रि भोजन (रात्रि 08 बजे से 09:00 बजे तक)
सोमवार	04 सादे परांठे, काले चने, चाय	अरहर दाल, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)	चाय 01	मसूर की दाल (काली), सीजनल सब्जी रोटी, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)
मंगलवार	04 रोटी, आलू टमाटर का साग, चाय	राजमा की दाल, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)	चाय 01	साबूत उड़द की दाल, सीजनल सब्जी, रोटी चावल (परमल), खीर/हलवा
बुधवार	02 आलू के परांठे, अचार, चाय	कढ़ी पकोडा,, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)	चाय 01	मिक्स पहाड़ी दाल, सोयाबीन बड़ी आलू, रोटी, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)
वृहस्पतिवार	04 रोटी,, आलू का साग, चाय	काले चने की दाल, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)	चाय 01	अरहर-मलका की दाल, सीजनल सब्जी, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)
शुक्रवार	04 सादे, चाय आलू की सब्जी,	पहाड़ी दाल, सब्जी रोटी, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)	चाय 01	मसूर की दाल (काली), मिक्स सब्जी/अण्डे करी रोटी, चावल (परमल), अचार चटनी
शनिवार	04 पूरी/02 छोले, भटूरे, चाय	साबूत उड़द व राजमा मिक्स दाल, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)	चाय 01	अरहर की दाल, सीजनल सब्जी रोटी, चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)
रविवार	04 रोटी, सब्जी, अचार, चाय	अरहर की दाल चावल (परमल), सलाद (प्याज, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर)	चाय 01	पनीर करी, रोटी, चावल (परमल), हलवा, अचार/चटनी

(विनोद कुमार)

प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलीटेक्निक
कोटद्वार